न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 135/2019 (225/2018)
GCMS NO. : 2018/00036

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति–माली निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. दुर्गाराम पुत्र भंवरलाल 2. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल 3. लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल जातियान–माली निवासीगण चावण्डिया तहसील जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 28/10/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया तहसील जैतारण में सायल एवं गैरसायलान व वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 610/471 रकबा 4–03 बीघा किस्म चाही चारम आई हुई है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की पेश है। पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में सायल एवं गैरसायलान वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या 4 से 6 माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खातेदारान की सामलाती आई हुई जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है जिससे सायल अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को काबिल काश्त हेतु खाद बीज के लिए बैंक से ऋण ले सकें। सायल बैंक से किसान कार्ड बनवा सकें व अपनी हिस्से की भूमि में अलग से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन ले सकें। सामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादी को अनेकों प्रकार की परेशानी पैदा होती है। वादी ने दिनांक 25.05.2018 को विधिवतरूप से बंटवाड़ा करने हेतु गैरसायलान को कहा तो इन्कार हो गयें। इतना ही नहीं सायल को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी तब सायल ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी की व राजस्व रेकड़ में इन्द्राज है। बिना बंटवाड़ा करवायें गैरसायलानः संख्या 1 से 3 लाठी के धन बल के आधार पर सामलाती भूमि में अपने हिस्से से अधिक भू–भाग में पक्के मकानों का निर्माण कर रहें है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

सायल व उसकी पत्नि ने कहा की बराबर बंट कर फिर अपनी भूमि को अपनी इच्छानुसार कार्य करें। परन्तु गैरसायलान नहीं मानें व सायल व उसकें पत्नी के साथ मारपीट भी की। गैरसायलान कृषि भूमि में अकृषि कार्य करें रहें है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमती के निर्माण कार्य कर रहें। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो कृषि का स्वरुप भी बदल जायेंगा। इसलिए गैरसायलान द्वारा सामलाती भूमि में किये जा रहें इमारत को रोके जानें बाबत् यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व मौके की स्थिति से सायल के पक्ष में प्रथम द्रष्टिया मामला है तथा हर कोण से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। यदि गैरसायलान द्वारा सामलाति खातेदारी भूमि की में बिना कानूनन बंटवाड़ा करवायें यदि अपनें हक हिस्सें से अधिक भू-भाग में तथा कृषि भूमि को अकृषि कार्य कर पक्कें मकान का निर्माण करतें है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमती के बिना पक्का निमार्ण कार्य करतें है तो सायल अपने हक अधिकारों से महरुम होना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही हो सकेगी इसलिए न्यायतन सायल के पक्ष में व गैरसायलान विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 610/471 रकबा 4-03 बीघा जब तक कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो तब तक गैरसायलान संख्या 1 से 3 किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निमार्ण कर इमारत आदि नहीं करें। जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें व सायल अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त के मुतालिक कुल कार्य खड़ाई-बुवाई एंव कटाई करें या करवावें तो उसमें गैरसायलान उनके वारिसान हाली आदि किसी प्रकार की दखल एंव दखलन्दाजी नहीं करें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। प्रार्थना की रूह से अन्य कोई अनुतोष जो सायल के पक्ष में हो दिलाया जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या एक का जबाब है कि सायल व गैर सायलान की जमीन मौके पर अलग अलग आई हुई हैं। जो काश्त योग्य नहीं है। खसरा नम्बर 610/471 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा का मौके पर 6 (छः) हिस्से बराबर अलग-अलग कर तारबंदी करके अपने अपने हिस्से माफिक मकान बनाये हुये हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार है उक्त विवादित भूमि काश्त के काम में नहीं आती है क्योकि सायल व गैर सायलान के पिता भंवरलाल के हिस्से में 04 बीघा 03 बिस्वा जमीन आती है भंवरलाल के 6 पुत्र होने से मौके पर प्रत्येक के लगभग 14 बिस्वा जमीन आती है सभी के अपने [illegible] हिस्से में पक्के मकान बने हुए है जिसकी फोटू जबाब प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] रहे है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है उक्त [illegible] बाई मिटस एण्ड बाउण्ड पहले

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

से बंटवाड़ा किया हुआ है बंटवाडे की लिखत की फोटू प्रति जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है मौके पर माफिक बंटवाड़ा नजरी नक्शा की फोटू प्रति जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। जिसको जबाब प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। गैर सायलान का सबसे बड़ा भाई सायल मॉगीलाल है जिसको उक्त पुश्तेनी मकान अपने पिता द्वारा बनाया गया जो दिया गया सायल के नियत में फर्क आने से अब गैर सायलान को उक्त प्रार्थना पत्र की रूह से तंग व परेशान करता है उक्त भूमि काश्त योग्य नहीं होने से खाद बीज के लिए ऋण की आवश्यकता नहीं है और न किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की आवश्यकता है मौके पर पाँच भाईयों के मकान बने हुए है एक भाई दिनेश का प्लोट खाली पड़ा है गैर सायल मोहनलाल का मकान बना हुआ है केवल मात्र प्लास्टर बकाया है मोहनलाल ने अपने मकान का प्लास्टर कराना शुरू किया तब वादी की नियत में फर्क आया और उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर यथास्थिति का आदेश जारी करवा दिया। गैर सायल मोहनलाल के सिमेन्ट, बजरी आदि सामान खराब हो रहे है आगे बरसात का समय आ रहा है यदि मकान का प्लास्टर नहीं किया गया तो आगे बरसात के दिनों में क्षतिग्रस्त होने की पुरी सम्भावना है इसलिए सायल द्वारा गलत तथ्यों पर किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना जरूरी हैं। मौके पर कुआ खुदवाने की जग नहीं है न ही आवश्यकता है सायल ने गैर सायलान को दिनांक 25-5-2018 को जमीन का बंटवाड़ा करने हेतू कहने की बनावटी व गलत है मौके पर पूर्व में बंटवाड़ा होने व मकान अलग-अलग बने हुये होने से अब नये तौर से बंटवाड़ा करने की आवश्यकता नहीं है सायल व गैर सायल मोहनलाल के आपस में मन मुटाव होने से गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र का पद संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है केवल मात्र उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारी की होने से अदालत बाला में वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि उक्त भूमि आबादी के पास होने से और रहवासी मकान बने हुए होने से उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है बंटवाड़ा दिनांक 6-6-2015 को किया जाकर मौके का नक्शा बनाया गया जो जबाब प्रार्थना-पत्र के साथ पेश है सायल स्वंय ने दो माह पूर्व अपना एक पक्का कमरा बनाया था और प्रार्थना पत्र में गैरसायल मोहनलाल के द्वारा मकान बनाने का लिखा है जो सरासर गलत है। सायल व गैर सायलान के आपस में पारिवारीक विवाद होने से गैर सायल संख्या 2 मोहनलाल को नुक्शान पहुचाने की नियत से सायल ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। सायल कि नियत खराब हो गई है सायल व्यापार करता है तथा किराणे कि दुकान करता है मालदार व्यक्ति है जो गैर सायलान के पिता तुल्य होते हुये भी अपने छोटे भाईयों को तंग व परेशान करता है सायल को अपने पिता द्वारा बनाया हुआ मकान दिया हुआ है इसलिए अब गैर सायलान को हर तरह से परेशान [illegible] है गैर सायल संख्या- 2 मोहनलाल अपने निर्मित मकान पर प्लास्टर [illegible] के सिखावे में आकर सायल ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या– 6 गलत होने से अस्वीकार है जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सन 2015 में ही आपस में बंटवाड़ा किया जाकर 6 प्लोट बनाकर अलग–अलग मकान बने हुये है मौके पर अलग–अलग तारबन्दी व चार दिवारी बनी हुई होने से प्रथम दृष्टया केस सायल के बनिस्पत गैर सायलान के पक्ष में बहूत ही मजबूत है यदि सायल गैर सायलान को बने हुये मकान पर प्लास्टर नहीं करने देगा तो गैर सायल संख्या– 2 मोहनलाल के सिमेन्ट बजरी आदि सामान खराब हो जायेगा जिसकी क्षतिपूर्ति सायल किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगा एवं मौके पर पहले से ही बंटवाड़ा का अलग–अलग मकान बने हुये होने से सुविधा का सन्तुलन भी गैर सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र मय दस्तावेजात एवं हस्तगत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2074–77 ग्राम चावण्डिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अविभाजित संयुक्त सह–खातेदारी की भूमि है। साधारणतया अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि के संबंध में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान वादग्रस्त आराजी में बतौर सह–खातेदार अभिलिखित है। ऐसे मामलों में बंटवाडा ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहे है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही अविभाजित सह–खातेदारी की आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अभिलिखित सह–अभिधारियों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें अपने कृषि भूमि के उपयोग/उपभो[illegible] असुविधा कारित होगी। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है [illegible] प्रकार सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में है। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenyer
Date: 2022.01.20 16:58:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण अभिलिखित सह–अभिधारी है। सह–खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य सह–खातेदारान के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से वंचित होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/सायल अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/10/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:18 IST
Reason: SelfAttested